

14. स्वराज्य का अर्थ

- मोहनदास करमचन्द गांधी

‘स्वराज्य’ एक पवित्र शब्द है। वह एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ आत्म-शासन और आत्म-संयम है। अंग्रेजी शब्द ‘इंडिपेंडन्स’ अक्सर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त, निरंकुश आजादी का या स्वच्छंदता का अर्थ देता है। वह अर्थ ‘स्वराज्य’ शब्द में नहीं है।

‘स्वराज्य’ से मेरा अभिप्राय है, लोक-सम्मति के अनुसार होने वाला भारतवर्ष का शासन। लोक-सम्मति का निश्चय देश के बालिग लोगों की बड़ी-से-बड़ी तादाद के मत के जरिये हो, फिर वे चाहे स्त्रियाँ हो या पुरुष, इसी देश के हों या देश में आकर बस गये हों। वे लोग ऐसे हों, जिन्होंने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा राज्य की कुछ सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम लिखवा लिया हो। सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगों के द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं, बल्कि जब सच्चा का दुरुपयोग होता हो तब सब लोगों के द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करके हासिल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में स्वराज्य जनता में इस बात का ज्ञान पैदा करके हासिल किया जा सकता है कि सत्ता पर कब्जा करने और उसका नियमन करने की क्षमता उसमें है।

स्वराज्य की रक्षा केवल वहीं हो सकती है जहां देशवासियों की ज्यादा बड़ी संख्या ऐसे भक्तों को हो जिनके लिए दूसरी सब चीजों से - अपने निजी लाभ से भी - देश की भलाई का ज्यादा महत्व हो। स्वराज्य का अर्थ है, देश की बहुसंख्यक जनता का शासन। जाहिर है कि जहां बहुसंख्यक जनता नीति-भ्रष्ट हो या स्वार्थी हो, वहां उसकी सरकार अराजकता की स्थिति पैदा कर सकती है। दूसरा कुछ नहीं।

मेरे-हमारे-सपनों के स्वराज्य में जाति या धर्म के भेदों का कोई स्थान नहीं हो सकता। उस पर शिक्षितों या धनवानों का एकाधिपत्य नहीं होगा। वह स्वराज्य सबके लिए, सबके कल्याण के लिए होगा। सब की गिनती में किसान तो आते ही हैं, किंतु लूले-लंगड़े, अंधे और भूख से मरने वाले लाखों-करोड़ों मेहनतकश मजदूर भी अवश्य आते हैं।

‘पूर्ण-स्वराज्य’ कहने में आशय यह है कि वह जितना किसी राजा के लिए होगा उतना ही किसान के लिए, जितना किसी धनवान जमींदार के लिए होगा उतना ही भूमि-हीन खेतियार के लिए, जितना हिन्दुओं के लिए होगा उतना ही मुसलमानों के लिए, जितना जैन, यहूदी और सिक्ख लोगों के लिए होगा उतना ही पारसियों और ईसाइयों के लिए। उसमें जाति-पाति, धर्म अथवा दर्जे के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

मेरे सपने का स्वराज्य तो गरीबों का स्वराज्य होगा। जीवन की जिन आवश्यकताओं का उपयोग राजा और अमीर लोग करते हैं वही गरीबों को भी सुलभ होनी चाहिए इसमें फर्क के लिए

स्थान नहीं हो सकता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे पास उनके जैसे महल होने चाहिए। सुखी जीवन के लिए महलों की कोई आवश्यकता नहीं, हमें महलों में रख दिया जाये तो हम घबरा जायें। लेकिन गरीबों को जीवन की वे सामान्य सुविधाएँ अवश्य मिलनी चाहिए जिनका उपयोग अमीर आदमी करता है। मुझे इस बात में बिल्कुल भी सन्देह नहीं है कि हमारा स्वराज्य तब तक पूर्ण स्वराज्य नहीं होगा जब तक वह गरीबों को ये सारी सुविधाएँ देने की पूरी व्यवस्था नहीं कर देता।

अहिंसा पर आधारित स्वराज्य में लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हर एक कर्तव्य के साथ उसकी तोल का अधिकार जुड़ा हुआ होता ही है, और सच्चे अधिकार तो वे ही हैं जो अपने कर्तव्यों का योग पालन करके प्राप्त किये गए हों। जिन लोगों को अधिकार अपने कर्तव्य के पालन के फल-स्वरूप मिलते हैं, वे उसका उपयोग समाज की सेवा के लिए ही करते हैं, अपने लिए कभी नहीं। किसी राष्ट्रीय समाज के स्वराज्य का अर्थ, उस समाज के विभिन्न व्यक्तियों के स्वराज्य (अर्थात् आत्म-शासन) का योग ही है और ऐसा स्वराज्य व्यक्तियों के द्वारा नागरिकों के रूप में अपने कर्तव्य के पालन से ही आता है। उसमें कोई अपने अधिकारों की बात नहीं सोचता। जब उनकी आवश्यकता होती है, जब वे उन्हें मिल जाते हैं और इसलिए मिलते हैं कि वे अपने कर्तव्य, अपने-आप का सम्पादन ज्यादा अच्छी तरह कर सकें।

अहिंसा पर आधारित स्वराज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। सारी जनता की भलाई का सामान्य उद्देश्य सिद्ध करने में हर एक अपना अभीष्ट योग देता है। सब लिख-पढ़ सकते हैं और उनका ज्ञान दिन-व-दिन बढ़ता रहता है। बीमारी और रोग कम-से-कम हो जायें, ऐसी व्यवस्था की जाती है। कोई कंगाल नहीं होता और मजदूरी करना चाहने वाले को काम अवश्य मिल जाता है। ऐसी शासन-व्यवस्था में जुआ, शराबखोरी और दुराचार को या वर्ग-विद्वेष को कोई स्थान नहीं होता। अमीर लोग अपने धन का उपयोग बुद्धिपूर्वक उपयोगी कार्यों में करेंगे, अपनी शान-शौकत बढ़ाने में या शारीरिक सुखों की वृद्धि में उसका अपव्यय नहीं करेंगे। उसमें ऐसा नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए कि चंद अमीर तो रत्न-जड़ित महलों में रहे और लाखों-करोड़ों ऐसी मनहूस झोंपड़ियों में जिनमें हवा और प्रकाश का भी प्रवेश न हो। अहिंसक स्वराज्य में न्यायपूर्ण अधिकारों का किसी के भी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता और इसी तरह किसी के कोई अन्यायपूर्ण अधिकार नहीं हो सकते। सुसंगठित राज्य में किसी के न्याय अधिकार का किसी दूसरे के द्वारा अन्याय-पूर्वक छीना जाना असम्भव होना चाहिए और कभी ऐसा हो जाये तो अपहर्जा को अपदस्थ करने के लिए हिंसा का आश्रय लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

अभ्यास

1. गांधी जी के अनुसार स्वराज्य शब्द का क्या अर्थ है ?
2. सच्चा स्वराज्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?
3. पूर्ण स्वराज्य से क्या आशय है ?
4. अहिंसा पर आधारित स्वराज्य कैसा होना चाहिए ?

